



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218721
CG-DL-E-17032020-218721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941

No. 156]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 182(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 13 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 216(अ), के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के अलावा, केन्द्र सरकार, एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. एन पटेल, अध्यक्ष
- (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. आर. मिधा, सदस्य
- (iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू-11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

नरेश कुमार, उप सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 13 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 216(अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 13 मार्च, 2019 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 182(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 216(E), dated 13th March, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Chairperson
 - (ii) Hon'ble Mr. Justice J. R. Midha, Member
 - (iii) Hon'ble Mr. Justice C. Hari Shankar, Member
2. This notification shall come into force with effect from 23rd March, 2020.

[F. No. U-11016/01/2011-PITNDPS]

NARESH KUMAR, Dy. Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. 216(E) dated 13th March, 2019 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 13th March, 2019.